

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1708

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018/5 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है)

आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी

+1708. श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:

श्रीमती वी. सत्यबामा:

श्री आर. के. भारती मोहन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की आवश्यक वस्तुओं और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के अधीन उत्पादों हेतु 9 प्रतिशत की एकल कर आधारित संरचना अपनाने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय को औषधीय, शैक्षिक, खाद्य और स्वच्छता संबंधी उत्पादों हेतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कर आधारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जीएसटी के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं और पदार्थों को 5 प्रतिशत की सबसे कम कर आधार संरचना के अन्तर्गत लाने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का क्या रुख है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क): तथा (ख): जी नहीं।

(ग): वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने औषधीय, शैक्षणिक एवं खाद्य और स्वच्छता संबंधी उत्पादों के बारे में किसी भी कर आधार के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(घ) तथा (ङ): जीएसटी की दरों का निर्धारण जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। प्रमुख आवश्यक वस्तुओं और जिन्सों पर लागू जीएसटी की दर इस प्रकार है:-

विवरण	जीएसटी दर
खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा सब्जियों के बीज, पशुचारा के बीज	शून्य
दूध	शून्य
ताजे फल	शून्य
ताजी सब्जियाँ	शून्य
ताजा गन्ना	शून्य
अनाज और अनाज उत्पाद	शून्य/5%*
दालें और इसके उत्पाद	शून्य/5%*
खाद्य वनस्पति तेल	5%
गुड़/खाण्डसारी चीनी	शून्य
चीनी	5%
पशु एवं जानवर आहार	शून्य
उर्वरक, अजैविक, जैविक या मिश्रित	5%
खादी यार्न	शून्य
जूट फाइबर, कच्चा या प्रसंस्कृत	शून्य
कॉटन या कॉटन वेस्ट	5%
कॉटन यार्न (खादी यार्न के अलावा)	5%
जूट यार्न	5%
बुने हुए सूती कपड़े	5%

*यूनिट कन्टेनर में बंद ब्रान्डेड अनाजों और दालों पर 5% की दर से जीएसटी लगायी जाती है।